न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1705

1. महेन्द्र कुमार पुत्र भौलाराम जाति मैघवाल निवासी खतेहपुरा, तहसील झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं ने मुकदमा संख्या 264/2025 निर्णय दिनांक 11.07.2025 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम रास्ते सम्बन्धी प्रकरण के विरूद्व पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री बनवारी कुमावत, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 16.02.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 11.07.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 24.10.2025 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 11.07.2025 को कदीमी प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु पटवार मण्डल कुलोद कला की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम खतेहपुरा के हाल भूमि खसरा नम्बर 131 व 134 में से जाने वाला प्रचलित रास्ता जो कि मौके परं निर्बाध रूप से चालू हालत में है तथा आवागमन में कोई बाधा नहीं है। इस रास्ते को ग्राम पंचायत दोरासर पंचायत समिति झुन्झुनूं के अनापत्ति प्रमाण पत्र व दस्तावेजात मय रास्ता प्रस्ताव के आधार पर सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट सहित उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को रास्ता प्रस्ताव भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की पालना में जनहित व विधिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 11.07.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव व संलग्न नक्सा ट्रेस राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने, रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहने एवं प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

में पड रहा है वह गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2025 पारित किये गये है।

3. उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 11.07.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं दिनांक 11.07.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2025 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व साक्ष्य के विपरीत व परिपत्र के विपरीत व विधि विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य हैं। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2025 का हैं जो आदेश मौके पर रास्ता हुये बिना ही तहसीलदार महोदय द्वारा मनमाने रूप से प्रस्तुत रिपोर्ट मय नक्शा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जिसकी पालना आज दिनांक तक मौके पर नही हुई है। क्योंकि मौके पर कोई रास्ता ही नही हैं तो पालना किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता तथा अपीलार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 130, 131 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.53 हैक्टेयर भूमि जो ग्राम खतेहपुरा, तहसील झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं में स्थित है जिसमे अपीलार्थी द्वारा फसल उगा रखी है तथा तहसीलदार महोदय, पटवारी हल्का व भू०अ० निरीक्षक द्वारा मौके पर कोई सार्वजनिक रास्ता/प्रचलित रास्ता अपीलार्थी की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि में हुये बिना ही मिथ्या रिपोर्ट बनाई गई है तथा उक्त मिथ्या सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश अवैध है। इस कारण अपीलाधीन आदेश माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में न तो अपीलार्थी की सहमति ली और ना ही उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया व ना ही अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिंद्धातों के विपरीत है तथा यहा यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पहले परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का अवलोकन ही नहीं किया जिस कारण अपीलाधीन निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने योग्य है।

सर्वे रिपोर्ट दिनांक 07.07.2025 बनाने से पूर्व अपीलार्थी को कोई सूचना नही दी गई ना ही अपीलार्थी के सर्वे रिपोर्ट पर हस्ताक्षर हैं तथा प्रत्यर्थी तहसीलदार महोदय व पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 131 की सर्वे रिपोर्ट बिना अपीलार्थी को सूचना दिये बिना बनाई गई है तथा उक्त रिपोर्ट के साथ जो नक्शा प्रस्तुत किया गया है उसमें मनमाने रूप से अपीलार्थी की खातेदारी कब्जें काश्त की भूमि खसरा नम्बर 131 में दक्षिणी सीमा पर डॉट–डॉट लाईन से रास्ता दर्शाया गया है जबकि मौके पर कोई सार्वजनिक/प्रचलित रास्ता नही हैं तथा मौके पर कोई सार्वजनिक चालू रास्ता नही है और ना ही उक्त दर्शाया गया रास्ता सार्वजनिक रूप से उपयोग हो रहा हैं। जिसके बावजूद भी प्रत्यर्थी द्वारा मनमाने रूप से रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मिथ्या सर्वे रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस के आधार पर अपीलाधीन आदेश राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के विपरीत जाकर पारित किया गया है जो अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध व परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य हैं। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2025 राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के विपरीत जाकर पारित किया है क्योंकि परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार धारा 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि मे से मौके पर स्थाई रूप से चालु हैं परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी रूप मे दर्ज नही हैं। तथा कई जगह कच्ची पक्की सडक भी बन गई हैं व राजस्व नक्शे में रेखा बिन्दू (डोटेड लॉईन) से दर्ज सार्वजनिक रास्ते को ही गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जायेगा जबकि हल्का पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार महोदय जो रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है उसमें मौके पर कोई सार्वजनिक/प्रचलित चालु रास्ता नही हैं। ना ही पटवारी व तहसीलदार महोदय द्वारा बताये अनुसार नक्शे में दर्शाया गया रास्ता आगे किसी रास्ते से जुडता हैं। जिसकी ताहिद प्रस्तुत नक्शा ट्रेस से भी होती हैं तथा अपीलार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 131 बाबत सर्वे रिपोर्ट व नक्शा प्रस्तुत किया गया है वह गलत व मौका स्थिति के विपरीत बनाया गया हैं इस प्रकार धारा 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम के तहत उक्त मिथ्या सर्वे रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस के आधार पर परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आलोच्य अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य हैं।

माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11.07.2025 में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का अंकन करते हुए उसके अनुसार आदेश पारित किया गया है जब कि राज्य सरकार के उक्त परिपत्र में यह कही भी अंकन नहीं है कि उक्त परिपत्र के आधार पर प्रभावित खातेदार को बिना सुने तथा मौके के विपरीत जाकर अगर मौके पर कोई रास्ता नही है तो नया रास्ता कायम किया जाए फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परिपत्र के प्रावधानों के खिलाफ जाकर बिना हितबद्ध पक्षकारों को सुने तथा मौके की वास्तविक रिपोर्ट के बिना जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2025 को पारित किया है उक्त परिपत्र के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त किए जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि खसरा नम्बर 131 में जहॉ वर्तमान में रास्ता दर्शाया गया है वहा कभी भी कोई प्रचलित/कच्चा रास्ता चालू नही रहा है इसके बावजूद भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को पूर्णतयाः नजर अंदाज करते हुए खसरा नम्बर 131 में से रास्ता निकालने का जो आदेश पारित किए है जो पूर्णतयाः औचित्यहीन है तथा प्राकृतिक न्याय के सिंद्धातों के तथा हितबद्ध पक्षकारों के विधिक अधिकारों के खिलाफ है जिस कारण अपीलाधीन आदेश माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि उक्त अधिसूचना दिनांक 10.08.2016 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58 (3) के तहत कोई रिपोर्ट तैयार की जाएगी तो उसकी प्रति संबंधित खातेदार को दी जाएगी तथा हितबद्ध काश्तकार को सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही कोई आदेश पारित किया जा सकता है लेकिन मौजूदा प्रकरण में हल्का पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक, तहसीलदार महोदय, द्वारा उपरोक्त विधि के प्रावधानों को नजर अंदाज कर अपीलार्थी को बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किए व अपीलार्थी को बिना सूचना दिये ही सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई हैं जिस कारण अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध व परिपत्र के विपरीत होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने योग्य है। अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2025 की जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं तथा मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं। अतः अपील अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2025 को अपास्त फरमाये जाने की कृपा करे।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार है जिस पर हर्सा दराज से काबिज काश्त है तथा प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कोई जानकारी नही रही है, ना ही प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई हेतु सूचना/नोटिस जारी किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी प्रार्थी को नही रही है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.07.2025 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 09.10.2025 को हल्का पटवारी द्वारा दी गई और यह कहा गया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मे से रास्ता निकालने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये है व प्रार्थी खसरा नम्बर 131 मे से खडी फसल को जल्द कटाई करले, क्योंकि मौके पर रास्ता निकाला जायेगा। जिस पर प्रार्थी द्वारा हल्का पटवारी को यह कहा गया कि प्रार्थी की भूमि मे से कोई रास्ता ही नही है तो रास्ता क्यो निकाल रहे हो तो हल्का पटवारी द्वारा यह कहा गया कि न्यायालय द्वारा रास्ता कायम किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण की जानकारी कर प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 09.10.2025 को प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जिस पर प्रार्थी की जानकारी में आया कि हल्का पटवारी, भू०अ० निरीक्षक व तहसीलदार महोदय द्वारा बिना मौके पर कोई रास्ता हुये बिना ही प्रार्थी की खातेदारी में रास्ता दर्ज करने बाबत मिथ्या रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना व बिना नोटिस जारी किये ही प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 131 मे से दक्षिण दिशा में रास्ता कायम किये जाने के आदेश पारित किये गये। इस प्रकार उक्त आदेश दिनांक 11.07.2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील तैयार करवाकर अतिशीघ्र पेश कर दी है।

अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी जानबूझकर नही हुयी बल्कि प्रार्थी को आदेश की जानकारी नही थी इसलिये अपील पेश करने में देरी हुयी है जो न्यायहित मे क्षमा किये जाने योग्य है। प्रकरण का निस्तारण गुणदोषों के आधार पर किया जाना है इसलिये माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में देरी के बिंदू को क्षमा किया जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणदोषों पर किया जाना चाहिये जिससे पक्षकारो को न्याय मिल सके इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2025 से जानकारी होने तक व नकल प्राप्त कर व अपील तैयार करवाने व अपील प्रस्तुत करने की अवधि को कन्डोन किया जाना न्यायोचित व आवश्यकीय है जिसके बिना प्रार्थी न्याय से वंचित रह जायेगा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है की अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2025 से जानकारी होने की दिनांक 09.10.2025 व आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 09.10.2025 को प्राप्त होने पर अपील तैयार कर अन्दर मियाद जानकारी से प्रस्तुत कर दी गयी है फिर भी माननीय न्यायालय किसी कारण से अपील पेश करने में देरी होना समझे तो अपील पेश करने मे हुयी देरी को क्षमा किया जाकर अपील का निस्तारण गुणदोषों के आधार पर किये जाने के आदेश फरमावे ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने की इजाजत बाबत् में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी/अपीलार्थी की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि हैं। जिसमे से

रास्ता कायम किया गया है जिसके बाबत आलोच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2025 को विधिविरूद्ध व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के विपरीत पारित किया गया है तथा प्रार्थी/अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है इसलिये पक्षकार मुकदमा बनाया जाना न्यायहित मे है तथा प्रार्थी/अपीलार्थी को प्रकरण के सही व न्यायपूर्ण निस्तारण के लिये आवश्यक पक्षकार बनाया जावे तथा प्रार्थी/अपीलार्थी के वादग्रस्त भूमि मे हित निहित हैं। अपीलाधीन आदेश से प्रार्थी/अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार है तथा वादग्रस्त भूमि में हित निहित है इसलिये प्रार्थी/अपीलार्थी को उक्त अपील प्रस्तुत करने की ईजाजत प्रदान किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। यदि प्रार्थी/अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की ईजाजत नही दी गई तो प्रार्थी/अपीलार्थी के साम्पतिक व विधिक अधिकारो का कुठाराधात होगा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी/अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की ईजाजत प्रदान करने की कृपा करे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 09.10.2025 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 11.07.2025 को कदीमी प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु पटवार मण्डल कुलोद कला की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम खतेहपुरा के हाल भूमि खसरा नम्बर 131 व 134 में से जाने वाला प्रचलित रास्ता जो कि मौके पर निर्बाध रूप से चालू हालत में है तथा आवागमन में कोई बाधा नहीं है। इस रास्ते को ग्राम पंचायत दोरासर पंचायत समिति झुन्झुनूं के अनापत्ति प्रमाण पत्र व दस्तावेजात मय रास्ता प्रस्ताव के आधार पर सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट सहित उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को रास्ता प्रस्ताव भिजवाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं

राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की पालना में जनहित व विधिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 11.07.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव व संलग्न नक्सा ट्रेस राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने, रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहने एवं प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड रहा है वह गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2025 पारित किये गये है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2025 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता दो खसरा नम्बरान से होकर गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जिसको नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत दोरासर के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2025 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.07.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर